बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि १० अप्रील १९६१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि १० अप्रील १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री भोला पासवान—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के सप्तम् सत्र (फरवरी—जून, १९६०) के ४०४ अतारांकित प्रश्नों में से ११४ अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा की मेज पर रखता हूं। शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्यों के नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री उमेश्वर प्रसाद	२३५।
२	श्री रामानन्द तिवारी	२३६, २४७, २५३, २५५, २५६, २६०, २७१, २७३, २७४, २७५, २७७, २८६, २८८, २८९, २९३, ३०२, ३०३, ३३०, ३३२, ३३४, ३४४, ३४८।
३	श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल ..	२३७।
४	श्री सुखदेव मांझी	२३८, ३१४।
५	श्री देवनन्दन प्रसाद	२३९, २८२।
६	श्री रूपलाल राय	२४०।
७	श्री विपिन बिहारी सिंह ..	२४१, २६१, २७६, २८१, ३२२।
८	श्री कपिलदेवसिंह	२४२, २८५, २९१, २९२, ३२०, ३२७।
९	श्री जय नारायण झा 'विनीत' ..	२४३, २८७।
१०	श्री खूब लाल महतो	२४४, ३४६।
११	श्री कर्पूरी ठाकुर	२४५, २४६।
१२	श्री बिगू राम	२४८।
१३	श्री केशव प्रसाद	२४९, २६६, ३०१, ३०६।
१४	श्री लखन लाल कपूर	२५०, ३४०।
१५	श्री ब्रज नन्दन शर्मा	२५१।
१६	श्री हरिचरण सोय	२५२, २६५, ३१२, ३१८।

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो श्री दिवान सिंह, पिता का नाम श्री हरि सिंह, मोकामा, जिला पटना को अभी कितनी दुकानें हैं ;

(३) क्या सरकार उक्त आदेश को उपरोक्त व्यक्ति के साथ भी लागू करेगी, यदि हां, तो कबतक ?

श्री भोला पासवान—उत्तर नकारात्मक है। उक्त पत्र द्वारा केवल यह सूचना दी गई है कि एक आदमी को एक ही दुकान रहने की पद्धति सरकार के विचाराधीन है ; इसलिये इस विषय के निर्णय तक राज्य की सब दुकानों की बन्दोवस्ती सन् १९६०-६१ वर्ष के लिये प्रोविजनल की जाय।

(२) श्री दिवान सिंह के नाम से पटना जिले में शराब की तीन दुकानें मसौढ़ी मोकामा और मकसूद बीघा (बाढ़) में स्थित है।

(३) उपर्युक्त खंड (१) के उत्तर को देखते हुए अभी यह प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ऐसी नीति अभी सरकार के विचाराधीन है।

STIPEND TO ADIVASI STUDENTS.

321. Shri S. K. BAGE : Will the Minister in charge Welfare Department be pleased to state—

(1) whether it is a fact that the Adivasi students reading in Diploma course in Agriculture at Kanke, Ranchi are getting Rs. 20 only as stipend from Agriculture Department ;

(2) whether it is a fact that according to Government rules they ought to get Rs. 40 from the Welfare Department, if so, do Government propose to implement it through Welfare Department?

श्री वीरचन्द पटेल—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उन्हें अन्य किसी तरह की सहायता या छात्रवृत्ति नही मिलने पर कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास में रहने पर ४० रुपया तथा बाहर रहने पर ३० रुपया प्रति-माह की दर से छात्रवृत्ति अनुमान्य है। पर कल्याण विभाग के सुझाव के अनुसार यदि किसी हरिजन छात्र को सरकार के किसी एक विभाग से छात्रवृत्ति मिलती है तो कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति अलग से नहीं मिलती। कल्याण विभाग से इस विषय पर लिखा-पढ़ी की जा रही है।

INDISCRIMINATE CUTTING OF TREES.

322. Shri BIPIN BEHARI SINHA : Will the Minister incharge Revenue (Forest) Department be pleased to state—

(1) the total area of forests in the district of Shahabad what portion has been leased out to private firms for exploitation;

(2) what are the species of wood;

(3) what are the plants for regeneration and development of such species which are useful for industries. ;

(4) the steps taken to stop indiscriminate cutting of forests ?

श्री भोला पासवान—(१) शाहाबाद जिलान्तर्गत वन विभाग के अधीन वन का क्षेत्रफल ६८१ वर्गमील है। निम्नलिखित भागों में वन उत्पत्ति के समुपयोजन अधिकार की बन्दोवस्ती अ-सरकारी व्यवस्था के साथ की गई है:—

क्रम संख्या	वन उत्पत्ति	क्षेत्रफल ए० डी०
(अ)	लकड़ी तथा जलावन	९,६९५ ७८
(ब)	बांस	११,२६६ ९२
(स)	कोरया डंडा	५९,३३८ ०९
(द)	तेन पत्ति	६८१ वर्ग मील।

इसके अतिरिक्त सवाई घास मरुही, सलाई गोंड़ वन पदार्थों की उत्पत्ति के समुपयोजन अधिकार की भी बन्दोबस्ती की गयी है।

(२) इस प्रमंडल में ज्यादातर धव, सीध, केंद, सवाई, कोरया, हर्रे, कदला, आसन, इत्यादि तथा कहीं-कहीं साल भी होता है।

(३) ऐसे पदार्थों के विकास के लिये कोई खास व्यवस्था नहीं है। ये पदार्थ स्वयं ही उत्पन्न होते हैं।

(४) इस प्रमंडल में अनियन्त्रित कटाई नहीं है।

खानपुर में आयुर्वेदिक औषधालय का स्थानान्तरण।

३२३। श्री रसिक लाल यादव—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत वारीसनगर थाना के खानपुर ग्राम में जिला बोर्ड की ओर से आयुर्वेदिक औषधालय और प्रखंड विकास की ओर से सब-हेल्थ सेन्टर भी चल रहा है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त थानान्तर्गत हसनपुर पंचायत के मुखिया श्री सीताराम यादव ने दिनांक २८ दिसम्बर, १९५९ को विशेष पदाधिकारी, दरभंगा को एक आवेदन-पत्र दिया था जिसमें उन्होंने यह मांग की थी कि उक्त औषधालय को उठाकर पंचायत के किसी ग्राम में कर दिया जाय क्योंकि हसनपुर पंचायत के नजदीक में कोई भी औषधालय नहीं है;

(३) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त खानपुर ग्राम से आयुर्वेदिक औषधालय या ब्लौक का सब-हेल्थ सेन्टर को उठाकर उक्त हसनपुर पंचायत के किसी ग्राम में कर देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?